प्रेस नोट

दिनांक 22.03.2024

जनपद गोण्डा।

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-25 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

06 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर पुलिस ने 01, थाना को0 मनकापुर पुलिस ने 01, थाना धानेपुर पुलिस ने 02 व थाना को0 करनैलगंज पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 22.03.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में आगामी त्योहारों व लोकसभा चुनाव-2024 को निष्पक्ष, सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने तथा जनता में शांति व सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के दृष्टिगत थाना कटराबाजार व इटियाथोक की पुलिस बल द्वारा अर्धसैनिक बल (CISF, SSB) के साथ विभिन्न ग्राम/मोहल्लों/कस्बा में किया गया रूट मार्चः-

आज दिनांक 22.03.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में थाना कटराबाजार व थाना इटियाथोक की पुलिस बल द्वारा आगामी त्योहारों होलिका दहन, होली, गुडफ्राइडे, चैत्र नवरात्रि, ईद-उल-फितर, श्री राम नवमी, प्रचलित रमजान माह व लोकसभा सामान्य चुनाव 2024 को सकुशल सम्पन्न कराने तथा जनता में शांति व सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अर्धसैनिक बलों (CISF, SSB) के साथ थानों के विभिन्न ग्रामों/मोहल्लों/कस्बों में रूट मार्च किया गया। रूट मार्च के दौरान आगामी त्योहारों होलिका दहन, होली, गुड़फ्राइडे, चैत्र नवरात्रि, ईद-उल-फितर, श्री राम नवमी व प्रचलित रमजान माह को शान्तिपूर्ण वातावरण में सकुशल सम्पन्न कराने व लोकसभा सामान्य चुनाव-2024 के दौरान आमजन को स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान करने, अवांछनीय व आपराधिक प्रकृति के व्यक्तियों में भय व्याप्त करने हेतु एरिया डॉमिनेशन किया गया। लोकसभा चुनाव में लोगों को कानून व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करने तथा आमजन को भयमुक्त व निडर होकर मतदान करने की अपील की गई तथा सभी को चुनाव में बढ-चढकर मतदान करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 22.03.2024, थाना खरगूपुर

जनपद गोण्डा।

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा प्रतिबन्धित नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा लोकसभा सामान्य चुनाव-2024 व आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण, शान्ति सुरक्षा व्यवस्था व संदिग्धों वस्तुओं/वाहनों की चेकिंग के दौरान 200 नशीली गोलियों के साथ अभियुक्त ताहिर अली को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 22.03.2024 को थाना खरगूपुर के उ0नि0 पंकज कुमार मय फोर्स क्षेत्र भ्रमण, शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था व संदिग्ध वाहनों/वस्तुओं की चेकिंग में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर गिरधर बगिया के पास से अभियुक्त ताहिर अली को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 200 अल्प्राजोलम की गोलियां बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. ताहिर अली पुत्र मो0 अकबाल नि0 वार्ड नं0 10 दर्जी पूर्वी कस्बा खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 78/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 200 टेबलेट अल्प्राजोलम।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 पंकज कुमार।
02. हे0का0 आदित्यनाथ यादव।
03. हे0का0 राजकिशोर।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 22.03.2024, थाना को0 नगर

जनपद गोण्डा।

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा प्रतिबन्धित नशीली गोलियों के साथ 03 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, 650 अल्प्राजोलम की टेबलेट बरामद-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा लोकसभा सामान्य चुनाव-2024 व आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण, शान्ति सुरक्षा व्यवस्था व संदिग्धों वस्तुओं/वाहनों की चेकिंग के दौरान 650 नशीली गोलियों के साथ 03 अभियुक्तों-01. लवकुश, 02. विशाल, 03. सुरेश को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 22.03.2024 को थाना को0 नगर के उ0नि0 प्रेमानन्द मय फोर्स क्षेत्र भ्रमण, शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था व संदिग्ध वाहनों/वस्तुओं की चेंकिगं में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर रानीजोत जाने वाले मार्ग से 03 अभियुक्तों-01. लवकुश पुत्र सदानन्द, 02. विशाल पुत्र मिठाईलाल, 03.सुरेश पुत्र सदानन्द को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 650 अल्प्राजोलम की गोलिया बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. लवकुश पुत्र सदानन्द नि0 असनहिया मौजा लक्ष्मणनपुर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

02. विशाल पुत्र मिठाई लाल नि0 असनहिया मौजा लक्ष्मणनपुर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

03. सुरेश पुत्र सदानन्द नि0 असनहिया मौजा लक्ष्मणनपुर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-172/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 650 टेबलेट अल्प्राजोलम।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 प्रेमानन्द।

02. हे0का0 अभय प्रताप।

03. हे0का0 राहुल मिश्रा

04. का0 प्रभाकर यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 22.03.2024, मॉनिटरिंग सेल,

जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की से दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 10 साल के सश्रम कारावास व रूपए 50,000 के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप नाबालिग लड़की से दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 50,000 के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की से दुराचार करने के आरोप में अभियुक्त रामप्रवेश गोस्वामी उर्फ बाबू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अशोक सिंह, मॉनिटरिंग सेल व थाना कटराबाजार के पैरोकार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट गोण्डा ने 10 वर्ष के कारावास व रू 50,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. रामप्रवेश उर्फ बाबू नि0 बादशाह नि0 दासपुरवा मौजा गौरिया थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-49/2017, धारा 376, 506 भादवि व 5छ/6 पॉक्सो ऐक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।